

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सुखान्ध के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी कतिपयता के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

सकल शिष्टाचार केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 850 दिनांक 12/1/2021

प्राप्ति मोहनराम डाठ सी इकर लाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 P.No: 54 सेक्टर बी

पारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय सरकारी नगर योजना

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/8892, 8893

दिनांक 12/1/2021 को जमा करा दी है ।

12/1/2021

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

Received

(Adv)

9413959511